न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/53/2021

अपीलार्थीः– श्री प्रतापसिह, एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड़, तहसील बहरोड़ जिला अलवर	प्रत्यर्थीः– लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–:: निर्णय ::–– दिनांकः– 10–05–2021

1. अपीलार्थी श्री प्रताप सिह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) के तहत अपील पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 17.02.21 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिकारी से सूचना चाही गई थी। जो अपेक्षित है, सूचना प्राप्त नही हुई है। उपलब्ध करवाई जावें।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर से अपील में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई तथा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20–04–2021 को उपस्थित आवें।

3. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर से पत्र क्रमांक 921 दिनांक 20–04–2021 से जवाब प्राप्त हुआ।

4. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 921 दिनांक 20–04–2021 के माध्यम से जबाब नोटिस द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 17.02.21 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पूर्व पत्रांक 812 दिनांक 30.03..21 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 1600 दिनांक 15.04.21 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, प्रकरण में आगामी कार्यवाही बाबत जानकारी सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर कार्यालय में संपर्क स्थापित कर प्राप्त करें। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज **दिनांक** 10–05–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)